

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2013—फाल्गुन 20, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 6770-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१३

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१३

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१३ है.

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३२,९७,४५,२४,६०० रूपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार दो सौ सनतानबे करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार छः सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व ५,००,००,०००	५,००,००,०००	१०,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व १४,६९,००,२००	०	१४,६९,००,२००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३०,००,०००	०	३०,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५.	जेल	राजस्व	१३,३९,७७,०००	०	१३,३९,७७,०००
०६.	वित्त	पूंजी	५,५०,०००	०	५,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	५,००,१००	०	५,००,१००
१०.	वन	राजस्व	३०,२०,००,१००	८२,३९,६८,९००	१,१२,५९,६९,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
		पूंजी	७३,६०,९५,८००	०	७३,६०,९५,८००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	४,५८,६२,००,०००	०	४,५८,६२,००,०००
		पूंजी	५,५०,००,००,०००	०	५,५०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१२,४४,१७,०००	०	१२,४४,१७,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२३,८३,६७,०००	०	२३,८३,६७,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	२२,५०,०००	०	२२,५०,०००
१८.	श्रम	राजस्व	६,००,२६,०००	०	६,००,२६,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	९,६८,५०,१००	०	९,६८,५०,१००
		पूंजी	२,५५,००,०००	०	२,५५,००,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	५२,०९,०००	०	५२,०९,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२३.	जल संसाधन	पूंजी	२,७३,८७,००,१००	०	२,७३,८७,००,१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
		पूंजी	१,७००	१,००,००,००,०००	१,००,००,०१,७००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१००	०	१००
२६.	संस्कृति	राजस्व	७,९३,२५,०००	०	७,९३,२५,०००
		पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	३,८३,३०,०००	०	३,८३,३०,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	७,०५,००,०००	१२,७५,०००	७,१७,७५,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२,१९,६०,१००	२०,५०,१००	२,४०,१०,२००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	२,८३,०४,०००	०	२,८३,०४,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	४०,०८,००,१००	०	४०,०८,००,१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	११,००,०००	०	११,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	७,००,००,०००	०	७,००,००,०००
३७.	पर्यटन	पूंजी	१३,४८,९५,०००	०	१३,४८,९५,०००
३८.	आयुष	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,१५,९८,५०,०००	०	२,१५,९८,५०,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	३६,२१,१००	०	३६,२१,१००
	पूंजी	२३,७६,२५,०००	०	२३,७६,२५,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	१००	०	१००
	राजस्व	३,०५,७३,०००	०	३,०५,७३,०००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	८,७१,००,०००	०	८,७१,००,०००
	पूंजी	५०,००,०७,९००	०	५०,००,०७,९००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	२९,५४,८०,०००	०	२९,५४,८०,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	३१,६४,४७,०००	०	३१,६४,४७,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३१,६४,४७,०००	०	३१,६४,४७,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	७५,११,००,०००	०	७५,११,००,०००
	पूंजी	२,४५,००,००,०००	०	२,४५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व १,२६,६०,०००	०	१,२६,६०,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व ७,१४,८८,०००	०	७,१४,८८,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व ५,१३,३१,००० पूंजी २५,९९,०००	० ०	५,१३,३१,००० २५,९९,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व ७५,००,००,००० पूंजी ९,००,००,०००	० ०	७५,००,००,००० ९,००,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व १०,००,०००	०	१०,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व २३,७३,००,०००	०	२३,७३,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ३,८५,६०,५३,००० पूंजी १२,२७,५१,०००	० ०	३,८५,६०,५३,००० १२,२७,५१,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व १,४२,९६,६१,१००	०	१,४२,९६,६१,१००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व ५८,४८,२५,००० पूंजी ६,००,००,०००	० ०	५८,४८,२५,००० ६,००,००,०००
योग :		राजस्व १८,४८,८५,०५,००० पूंजी १२,६०,८७,२५,६००	८७,७२,९४,००० १,००,००,००,०००	१९,३६,५७,९९,००० १३,६०,८७,२५,६००
वृहद योग :		३१,०९,७२,३०,६००	१,८७,७२,९४,०००	३२,९७,४५,२४,६००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ८ मार्च, २०१३

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.